

## अनुच्छेद 370 को नरिस्त करने की चौथी वर्षगाँठ

यह एडिटोरियल 08/08/2023 को 'इंडियन एक्सप्रेस' में प्रकाशित [“After abrogation of Article 370, there is no normalcy in Kashmir”](#) लेख पर आधारित है। इसमें अनुच्छेद 370 को नरिस्त किये जाने और जम्मू-कश्मीर में ज़मीनी परदृश्य पर तथा लोगों के जीवन पर इसके प्रभाव के बारे में चर्चा की गई है।

### प्रलमिस के लिये:

[अनुच्छेद 370](#), [जम्मू और कश्मीर](#), [वशिष दरजा](#), [केंद्रशासति प्रदेश](#), [केंद्र-राज्य संबंध](#), [संघवाद](#), विकास हेतु पहल, [सुरक्षा उपाय](#), [अनुच्छेद 35A](#), राजनीतिक सुधार, [लद्दाख](#), [सीमा विवाद](#), सांस्कृतिक विविधता, आर्थिक विकास, [संवैधानिक संशोधन](#), [बुनियादी ढाँचा](#) और [कनेक्टिविटी](#), [छठी अनुसूची](#)।

### मेन्स के लिये:

अनुच्छेद 370 के बाद जम्मू-कश्मीर में शांति और स्थिरता, लद्दाख में 6वीं अनुसूची की मांग, हिमालयी केंद्रशासति प्रदेश में जैवविविधता के विकास व संरक्षण से संबंधित मुद्दे।

[भारतीय संविधान](#) के [अनुच्छेद 370](#)—जसिने पूर्ववर्ती [जम्मू और कश्मीर राज्य](#) (अब [केंद्रशासति प्रदेश](#) [जम्मू और कश्मीर](#) तथा [केंद्रशासति प्रदेश](#) [लद्दाख](#) में विभाजित) को अस्थायी रूप से वशिष दरजा प्रदान किया था, को नरिस्त किये जाने की चौथी वर्षगाँठ पर केंद्रीय गृह मंत्री ने एक बार फरि ज़ोर देकर कहा कि अनुच्छेद 370 ने केवल भ्रष्टाचार और अलगाववाद को बढ़ावा दिया था तथा जम्मू-कश्मीर में आतंकवाद को समाप्त करने के लिये इसे नरिस्त करना अत्यंत महत्त्वपूर्ण था।

## भारत के संविधान का अनुच्छेद 370 क्या है?

- **परचिय:** 17 अक्टूबर 1949 को अनुच्छेद 370 को एक 'अस्थायी उपबंध' (temporary provision) के रूप में भारतीय संविधान में जोड़ा गया था, जसिने जम्मू और कश्मीर को वशिष छूट प्रदान की थी, इसे अपने स्वयं के संविधान का मसौदा तैयार करने की अनुमति प्राप्त हुई थी और राज्य में भारतीय संसद की विधायी शक्तियों को नरिस्तरि रखा गया था।
  - इसे एन. गोपालस्वामी अयंगर द्वारा संविधान के मसौदे में [अनुच्छेद 306A](#) के रूप में पेश किया गया था।
  - [अनुच्छेद 370 के तहत](#) जम्मू और कश्मीर राज्य की संविधान सभा को यह अनुशंसा करने का अधिकार दिया गया था कि भारतीय संविधान के कौन-से अनुच्छेद राज्य पर लागू होंगे।
  - राज्य के संविधान का मसौदा तैयार करने के बाद जम्मू-कश्मीर संविधान सभा को भंग कर दिया गया था। [अनुच्छेद 370 के खंड 3](#) द्वारा [भारत के राष्ट्रपति को इसके उपबंधों और दायरे में संशोधन कर सकने की शक्ति प्रदान की गई थी](#)।
- [अनुच्छेद 35A](#) [अनुच्छेद 370 से व्युत्पन्न हुआ](#) था जसिने इसे जम्मू-कश्मीर संविधान सभा की अनुशंसा पर वर्ष 1954 में राष्ट्रपति के एक आदेश (Presidential Order) के माध्यम से पेश किया गया था।
  - अनुच्छेद 35A जम्मू-कश्मीर विधानसभा को राज्य के स्थायी नविसयों और उनके वशिष अधिकारों और वशिषाधिकारों (special rights and privileges) को परिभाषित करने का अधिकार देता था।
- 5 अगस्त 2019 को भारत के राष्ट्रपति ने संविधान के अनुच्छेद 370 के खंड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 'संविधान (जम्मू और कश्मीर पर लागू) आदेश, 2019' जारी किया। इसके माध्यम से भारत सरकार ने अनुच्छेद 370 में संशोधन किया (उल्लेखनीय है कि इसे रद्द नहीं किया)।

## अनुच्छेद 370 की समाप्तिके बाद जम्मू-कश्मीर में शांति और सुरक्षा की वर्तमान स्थिति

- पथराव की घटनाओं और उग्रवाद में कमी:
  - सुरक्षा बलों की उपस्थिति में वृद्धि और [NIA](#) जैसी केंद्रीय एजेंसियों की कार्रवाई से पथराव की घटनाओं (stone pelting) में कमी

आई।

- पत्थरबाजी की घटनाओं में कमी: जनवरी-जुलाई 2021 में पथराव की 76 घटनाएँ दर्ज हुईं, जबकि इसी अवधि में वर्ष 2020 में 222 और 2019 में 618 घटनाएँ दर्ज हुई थीं।
- सुरक्षा बलों को लगी चोटों में गिरावट आई और यह 64 (2019) से घटकर 10 (2021) रह गया।
- पेलेट गन और लाठीचार्ज से नागरिकों को लगी चोटों की घटना 339 (2019) से घटकर 25 (2021) रह गई।
- जम्मू-कश्मीर में बेहतर कानून-व्यवस्था स्थिति हुई जहाँ वर्ष 2022 में वधि-व्यवस्था भंग होने की केवल 20 घटनाएँ दर्ज हुईं।

## REDUCTION IN MILITANT ACTIVITY SINCE 2019

	Acts of Terror	Deaths of civilians	Deaths of Security Personnel	Admission of Terrorists
2 October 2016-4 August 2019	959	137	267	459
5 August 2019-6 June 2022	654	118	127	394
% reduction	32%	14%	52%	14%

### ■ उग्रवादियों और ओवर-ग्राउंड वर्कर्स (OGWs) की गरिफ्तारियाँ:

- उग्रवादी समूहों के OGWs की गरिफ्तारियाँ 82 (2019) से बढ़कर 178 (2021) हो गईं।
- आतंकवादी कृत्यों में गिरावट: अगस्त 2019 से जून 2022 के बीच इसके पछिले 10 माह की तुलना में आतंकवादी कृत्यों में 32% की गिरावट दर्ज की गई।

## इन चार वर्षों में कौन-सी वकिस पहलें की गईं?

### केंद्रशासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर में वकिस:

#### ■ वकिस परियोजनाएँ:

- भारत सरकार ने सड़क एवं रेल कनेक्टिविटी, स्वास्थ्य एवं शिक्षा अवसंरचना, पर्यटन एवं वरिसत को प्रोत्साहन, खेल एवं युवा सशक्तीकरण आदि से संबंधित वभिन्न वकिस परियोजनाओं की शुरुआत की है।
  - सरकार ने जम्मू-कश्मीर के लिये प्रधानमंत्री वकिस पैकेज (PMDP) के तहत 54 परियोजनाओं को मंजूरी दी है।
- सरकार ने जम्मू-कश्मीर में केंद्र सरकार की वभिन्न प्रमुख योजनाओं—जैसे [आयुष्मान भारत](#), [उज्ज्वला योजना](#), [प्रधानमंत्री कसिन सम्मान नधि](#), [प्रधानमंत्री आवास योजना](#) आदि को भी लागू किया है।
  - आयुष्मान भारत योजना के तहत जम्मू-कश्मीर में 21 लाख से अधिक लाभार्थियों को पंजीकृत किया गया है और 1.5 लाख से अधिक लाभार्थियों ने नशिलक चकितिसा का लाभ उठाया है।
- पर्यटन और नविश के लिये एक गंतव्य के रूप में जम्मू-कश्मीर की क्षमता को प्रदर्शित करने के लिये सरकार ने शरीनगर में [G20 पर्यटन कार्यक्रम की बैठक](#) आयोजित की।
  - यह जम्मू-कश्मीर में इस क्षेत्र को देश और दुनिया के शेष भागों के साथ एकीकृत करने वाला पहला महत्त्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय आयोजन था।
- सरकार ने नविश आकर्षित करने और औद्योगिक वकिस को बढ़ावा देने के लिये जम्मू-कश्मीर में अन्य व्यावसायिक बैठकों की भी मेजबानी की है।
  - जून 2022 में सरकार ने जम्मू-कश्मीर में एक [वैश्विक नविशक शखिर सम्मेलन](#) (Global Investors Summit) का भी आयोजन किया, जिसमें 200 से अधिक घरेलू और वदेशी कंपनियों की भागीदारी देखी गई।
  - इस शखिर सम्मेलन में जम्मू-कश्मीर में नविश के लिये कृषि, बागवानी, हस्तशिल्प, पर्यटन, आईटी, नवीकरणीय ऊर्जा आदि वभिन्न क्षेत्रों एवं अवसरों को चहिनति किया गया।
- इन घटनाक्रमों ने जम्मू-कश्मीर की अर्थव्यवस्था और आजीविका को बढ़ावा देने के लिये सरकार की प्रतबिद्धता को प्रदर्शित किया है। इन्होंने जम्मू-कश्मीर के एक संघर्षग्रस्त क्षेत्र होने की वैश्विक धारणा को बदलने और एक शांतपूरण एवं समृद्ध गंतव्य के रूप में इसकी क्षमता को उजागर करने में भी मदद की है।

#### ■ राजनीतिक सुधार:

- ज़मीनी स्तर पर लोकतंत्र की बहाली: सरकार ने दसिंबर 2020 में जम्मू-कश्मीर में पहली बार ज़िला वकिस परिषद (DDC) के चुनाव कराए, जिसमें 51.42% का उच्च मतदान स्तर दर्ज किया गया।
- सरकार ने जम्मू-कश्मीर [पंचायती राज अधिनियम 1989](#) में भी संशोधन किया है जहाँ पंचायतों में महिलाओं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पछिड़े वर्गों के लिये सीटों को आरक्षित किया गया।
- सरकार ने नवीनतम जनगणना आँकड़ों के आधार पर जम्मू-कश्मीर में वधिानसभा और संसदीय क्षेत्रों की सीमाओं को फरि से नरिधारित करने

के लिये परसिमन की प्रक्रिया भी शुरू की है।

#### ■ सुरक्षा उपाय:

- सुरक्षा बलों ने पछिले चार वर्षों में 800 से अधिक आतंकवादियों को मार गिराया है और आतंकवादी संगठनों के 5,000 से अधिक ओवरग्राउंड वर्कर्स को गरिफ्तार किया है।

## केंद्रशासति प्रदेश लद्दाख में विकास:

- अनुच्छेद 370 की समाप्ति के बाद केंद्रशासति प्रदेश लद्दाख में भी आधारभूत संरचना, शक्ति, स्वास्थ्य, रोजगार और शासन में सुधार के लिये विभिन्न विकास पहलों की शुरुआत की गई है। इनमें से कुछ प्रमुख पहलें हैं:
- अवसंरचना
  - सरकार ने नमिनलखिति आधारभूत संरचना परियोजनाओं पर कार्य की गति तेज कर दी है:
    - **जोजिला सुरंग**, श्रीनगर और लेह के बीच हर मौसम में कनेक्टिविटी प्रदान करती है, जिससे यात्री क्षमता में वृद्धि होगी और लद्दाख से आने-जाने के लिये अधिक उड़ानों की सुविधा प्राप्त होगी।
  - सरकार ने दूरदराज के गाँवों तक इंटरनेट और मोबाइल सेवाएँ प्रदान करने के लिये **फाइबर-ऑप्टिक केबल** बछाकर और सौर ऊर्जा संचालित टावर स्थापित कर लद्दाख के दूरसंचार नेटवर्क में सुधार का प्रयास किया है।
- शक्ति
  - लद्दाख के 75,000 से अधिक युवाओं को रोजगारोन्मुखी कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है।
  - लद्दाख में एक नया मेडिकल कॉलेज, एक इंजीनियरिंग कॉलेज और एक राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना की गई है।
- स्वास्थ्य
  - लेह और कारगलि में दो नए एम्स (AIIMS) जैसे संस्थान स्थापित किये जा रहे हैं।
  - **आयुषमान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना** (AB-PMJAY) के तहत लद्दाख के सभी नवासियों के लिये एक स्वास्थ्य बीमा योजना शुरू की गई है।
- रोजगार
  - यात्रा प्रतर्बिधों में ढील देकर और पर्यटकों एवं ऑपरेटरों को प्रोत्साहन प्रदान कर पर्यटन एवं एडवेंचर स्पोर्ट्स को बढ़ावा दिया जा रहा है।
  - किसानों और सहकारी समितियों को सब्सिडी और बाजार संपर्क प्रदान कर जैविक खेती एवं बागवानी क्षेत्र का विकास किया जा रहा है।
- शासन
  - स्थानीय प्रतनिधित्व और स्वायत्तता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से **कारगलि जिले के लिये एक 'हलि काउंसिल'** का गठन किया गया है।
  - ज़मीनी स्तर पर लोकतंत्र को सुदृढ़ करने के लिये पंचायतों और शहरी स्थानीय निकायों के चुनाव आयोजित कराये गए हैं।

## जम्मू-कश्मीर और लद्दाख केंद्रशासति प्रदेश अभी भी कनि चुनौतियों का सामना कर रहे हैं?

### जम्मू-कश्मीर केंद्रशासति प्रदेश के समक्ष वदियमान चुनौतियाँ:

- चुनौतियाँ और चत्ताएँ:
  - लक्ष्मि हत्याओं, विशेष रूप से कश्मीरी हृदुओं और गैर-कश्मीरियों (प्रवासी मज़दूरों) की हत्याओं में वृद्धि देखी गई।
    - 5 अगस्त, 2019 के बाद से हुई नागरिक हत्याओं के आधे से अधिक पछिले आठ माह में दर्ज किये गए।
  - सीमा पार से सस्ते कस्मि के डरोन द्वारा गरिये गए छोटे हथियारों का इस्तेमाल इन हत्याओं में किया गया।
  - महिलाओं और बच्चों के वरिद्ध अपराधों में वृद्धि देखी गई है।
- नज़रबंदी और अभवियक्तिका दमन:
  - 5 अगस्त और 9 अगस्त, 2019 की नरिस्तीकरण की कार्रवाई के वरिद्ध उभरे वरिध प्रदर्शन के दमन के लिये 5,000 से अधिक लोगों को हरिसत में लिया गया था।
  - असहमत राय व्यक्त करने के लिये पत्रकारों और **मानवाधिकार** कार्यकर्ताओं को गरिफ्तार किया गया।
- उग्रवाद का पुनरुत्थान:
  - पीर पंजाल क्षेत्र में उग्रवाद का फरि से उभार हुआ जहाँ पछिले 15 वर्षों में इसमें गरिवट देखी गई थी।
  - **CRPF जवानों** के हताहत होने की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई।
- राजनीतिक अभवियक्तियों का दमन:
  - शांति और सुरक्षा के नाम पर कई वर्षों से जम्मू-कश्मीर में नेताओं की नज़रबंदी की कार्रवाई जारी रही है।
    - राजनीतिक नेताओं को शांतपूरवक वरिध करने की अनुमति नहीं दी गई और उनके कार्यालय सील कर दिये गए।
  - भूमि हस्तांतरण, सीमा-पार व्यापार की समाप्ति और स्थानीय व्यवसायों में गरिवट नरितर बनी रही समस्याएँ हैं।
  - वधिानसभा चुनाव पाँच वर्ष के लिये स्थगित कर दिये गए (अनुच्छेद 370 के नरिस्त होने के बाद से)।
- बेरोजगारी और भ्रष्टाचार:
  - **बेरोजगारी** चत्ताजनक रूप से 23.1% के स्तर पर है, जो राष्ट्रीय औसत से काफ़ी ऊपर है। हालाँकि सरकारी नौकरियों में नयुक्तियाँ हुई हैं, फरि भी बड़ी संख्या में रक्तियाँ बनी हुई हैं।

### लद्दाख के समक्ष वदियमान चुनौतियाँ:

- **सीमा विवाद:** लद्दाख [पाकसिस्तान](#) और [चीन](#) के साथ विवादित सीमाएँ रखता है। वर्ष 2020 में [गलवान घाटी](#) में भारत और चीन के बीच हुई हसिक झड़प अस्थिरताकारी और अप्रत्याशाति रही थी, जससे लद्दाख की शांति और सुरक्षा के लयि खतरा उत्पन्न हो गया था।
  - लद्दाख में भारतीय पशुपालकों को [वास्तविक नयितरण रेखा \(LAC\)](#) के पास चीनी सेना द्वारा अवरोधों का सामना करना पड़ता है।
- **वकिस अंतराल:** अवसंरचना, शकिसा, स्वास्थय, रोजगार और शासन के मामले में लद्दाख भारत के अन्य भागों से पछिड़ा हुआ है। यह क्षेत्र कमजोर कनेक्टविटी, नमिन साकषरता, उच्च मृत्यु दर, सीमति अवसरों और कमजोर संस्थानों जैसी समस्याओं से ग्रस्त है।
- **केंद्रशासति प्रदेश के रूप में गठन के बाद उत्पन्न हुई चतिाएँ:**
  - **चार सूत्री एजेंडा:** प्रमुख संगठन (कारगलि डेमोक्रेटिक अलायंस और लद्दाख बुद्धसिट एसोसिएशन) केंद्र सरकार से समतिके लयि चार सूत्री अधदिश की मांग रखते हैं:
    - [लद्दाख को राज्य का दर्जा](#) (केंद्रशासति प्रदेश में एक नरिवाचति वधिानसभा की आवश्यकता)
    - लद्दाख के पर्यावरण और स्वदेशी अधिकारों की रक्षा के लयि संवधिान की **छठी अनुसूची के तहत सुरक्षा उपाय**
    - लद्दाख के युवाओं के लयि **नौकरी में आरक्षण**
    - लेह और कारगलि के लयि **अलग संसदीय नरिवाचन क्षेत्रों** का नरिमाण।

## छठी अनुसूची

- अनुच्छेद 244 वधिायी और प्रशासनिक स्वायत्तता के साथ [स्वायत्त जलिा परिषदों](#) (ADCs) के गठन का प्रावधान करता है।
- **ADCs:** 30 व्यक्तियों तक की सदस्यता के साथ ADCs भूमि, जल, कृषि, पुलिस व्यवस्था आदि का प्रबंधन करते हैं।
- वर्तमान अनुप्रयोग: यह व्यवस्था वर्तमान में असम, मेघालय, मजोरम और त्रिपुरा जैसे पूर्वोत्तर राज्यों में लागू है।
- **राज्य के दर्जे की मांग:** लद्दाख के लोग पूर्ण राज्य के दर्जे की मांग कर रहे हैं और उनका मानना है कि केंद्रशासति प्रदेश का दर्जा उन्हें पर्याप्त स्वायत्तता और प्रतिनिधित्व प्रदान नहीं करता है। वे जनसांख्यिकीय परिवर्तन, भूमि हस्तांतरण और सांस्कृतिक क्षरण का भी भय रखते हैं।
- **क्षेत्रीय वभिाजन:** लेह (मुख्य रूप से बौद्ध) और कारगलि (मुख्य रूप से मुस्लिम) दो ऐसे जलिा हैं जो भिन्न धार्मिक, जातीय, भाषाई संरचना रखते हैं, साथ ही भिन्न-भिन्न राजनीतिक संबधताएँ और आकांक्षाएँ भी रखते हैं।
- **सांस्कृतिक पहचान:** लद्दाख के लोगों की एक वशिष्ट सांस्कृतिक पहचान है जो तिब्बती, बाल्टी, दार्दी, मंगोलोयड और इंडो-आर्यन तत्वों से प्रभावित है। उनकी अपनी भाषाएँ, लपियाँ, रीति-रिवाज, त्यौहार, कलाएँ और शिल्प हैं। वे आधुनिकीकरण और वैश्वीकरण के सामने अपनी सांस्कृतिक वरिसत को संरक्षति रखने और उन्हें संवर्धति करने की इच्छा रखते हैं।
- **स्थानीय वरिोध:** लद्दाख से संबधति प्रसदिध इंजीनियर और शकिसावदि सोनम वांगचुक वृहत स्वायत्तता और क्षेत्रीय मांगों के लयि मुखर रहे हैं। उन्होंने लद्दाख के लेफ्टनिंट गवर्नर पर जम्मू-कश्मीर के दर्जे को तरजीह देने का आरोप लगाया है।

## सोनम वांगचुक:

- **SECMOL के संस्थापक:** वह सेंट्रल एजुकेशनल एंड कल्चरल मूवमेंट ऑफ लद्दाख (SECMOL) के सह-संस्थापक हैं।
- **हमि स्तूप के आवषिकारक:** उन्हें हमि स्तूप (Ice Stupa) के आवषिकार का श्रेय दिया जाता है जो जल को हमि स्तूप के रूप में भंडारति करने का एक अभनव दृष्टिकोण है।
- **रेमन मैगसेसे पुरस्कार वजिता:** उन्हें शकिसण प्रणालियों और सामुदायिक सहभागिता में सुधार के लयि वर्ष 2018 में रेमन मैगसेसे पुरस्कार से सम्मानति कथिा गया।

## आगे की राह

जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में धारा 370 की समाप्ति के बाद के परिदृश्य में कुशलता से आगे बढ़ना आवश्यक है। इसलिये लयि नमिनलखिति उपाय करने होंगे-

- **सामान्य स्थिति और वशिवास बहाल करना:**
  - वशिवास-नरिमाण के लयि सामान्य स्थिति बहाल की जाए।
  - राजनीतिक बंधियों को रहिा करें, बातचीत को बढ़ावा दें, स्थानीय नेताओं को संलग्न करें।
- **समावेशी शासन और भागीदारी:**
  - वधिधि आकांक्षाओं की पूर्ति के लयि समावेशी शासन को बढ़ावा दिया जाए।
  - स्थानीय चुनावों का शीघ्र आयोजन हो, राजनीतिक मंचों के माध्यम से उन्हें सशक्त बनाया जाए।
- **आर्थिक वकिस और नविश:**
  - अवसंरचना, पर्यटन, प्रौद्योगिकी के माध्यम से आर्थिक वकिस पर ध्यान दिया जाए।
  - [वशिष आर्थिक क्षेत्र \(SEZs\)](#), प्रोत्साहन (incentives), SME का समर्थन।
- **सुरक्षा और शांति को सुदृढ करना:**
  - वकिस के लयि सुरक्षा और स्थिरता सुनिश्चिति की जाए।
  - उग्रवाद का मुकाबला करें, स्थानीय कानून प्रवर्तन को सशक्त करें।
- **सांस्कृतिक वधिधिता का सम्मान करना:**



- सांस्कृतिक भिन्नताओं को स्वीकार करें और उनका सम्मान करें।
- संस्कृति का संरक्षण करें, क्षेत्रीय हतियों को संतुलित करें।
- **अवसंरचना और कनेक्टिविटी:**
  - व्यापार, पर्यटन आदि के विकास लिये कनेक्टिविटी बढ़ाएँ।
  - डिजिटल अवसंरचना, शिक्षा, व्यवसाय को बढ़ावा दें।
- **अंतरराष्ट्रीय कूटनीति:**
  - सपष्ट रुख के साथ बाह्य धारणाओं का प्रबंधन किया जाए।
  - सीमा विवादों को सुलझाएँ, पड़ोसी देशों के साथ संलग्नता बढ़ाई जाए।

सफलतापूर्वक आगे बढ़ने के लिये एक बहुआयामी दृष्टिकोण की आवश्यकता है, जिसमें आर्थिक विकास, समावेशी शासन, सुरक्षा, सांस्कृतिक संरक्षण और प्रभावी कूटनीति का संयोजन हो, ताकि क्षेत्र की अखंडता को बनाए रखते हुए इसके नागरिकों के लिये एक उज्ज्वल भविष्य सुनिश्चित किया जा सके।

**अभ्यास प्रश्न:** धारा 370 को हटाए जाने और जम्मू-कश्मीर को दो केंद्रशासित प्रदेशों में पुनर्गठित करने के संवैधानिक एवं वधिक नहितार्थों का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिये। यह संघीय ढाँचे तथा राज्य की पूर्ववर्ती विशेष स्थिति को किस प्रकार प्रभावित करता है?

## UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न (PYQs)

????????

**प्रश्न. सयिाचनि ग्लेशयिर स्थति है: (2020)**

- अकसाई चनि के पूरव में
- लेह के पूरव में
- गलिगति के उत्तर में
- नुबरा घाटी के उत्तर में

**उत्तर: (d)**

**व्याख्या:**

- सयिाचनि ग्लेशयिर हमिलय में पूरवी काराकोरम रेंज में स्थति है, जो प्वाइंट NJ9842 के उत्तर-पूरव में है, यहाँ भारत और पाकसितान के बीच नयितरण रेखा समाप्त होती है।
- यह दुनयिा के गैर-धरुवीय क्षेत्रों का दूसरा सबसे लंबा ग्लेशयिर है।
- यह अकसाई चनि के पश्चिम में, नुबरा घाटी के उत्तर में और गलिगति के लगभग पूरव में स्थति है।
- **अतः विकल्प (d) सही उत्तर है।**

??????

**प्रश्न. भारतीय संवधिन का अनुच्छेद 370, जसिके साथ हाशयिा नोट " जम्मू-कश्मीर राज्य के संबंध में अस्थायी उपबंध" लगा हुआ है, कसि सीमा तक अस्थायी है? भारतीय राज्य-व्यवस्था के संदर्भ में इस उपबंध की भावी संभावनाओं पर चर्चा कीजिये?**

**प्रश्न. आंतरिक सुरक्षा खतरों तथा नयितरण रेखा सहति म्याँमार, बांग्लादेश और पाकसितान सीमाओं पर सीमा-पार अपराधों का वश्लेषण कीजिये। वभिनिन सुरक्षा बलों द्वारा नभाई गई भूमिका की वविचना भी कीजिये। (2020)**

**प्रश्न. जम्मू और कश्मीर में 'जमात ए इस्लामी' पर पाबंदी लगाने से आतंकवादी संगठनों को सहायता पहुँचाने में भूमि-उपरिकार्यकर्त्ताओं (ओ-जी-डब्ल्यू) की भूमिका ध्यान का केंद्र बन गई है। उपप्लव (बगावत) प्रभावति क्षेत्र में आतंकवादी संगठनों को सहायता पहुँचाने में भूमि-उपरिकार्यकर्त्ताओं द्वारा नभाई जा रही भूमिका का परीक्षण कीजिये। भूमि उपरिकार्यकर्त्ताओं के प्रभाव को नषिप्रभावति करने के उपायों की चर्चा कीजिये। (2019)**

**प्रश्न. पर्यटन की प्रोन्नतिके कारण जम्मू और कश्मीर, हमिाचल प्रदेश और उत्तराखंड के राज्य अपनी पारस्थितिकि वहन क्षमता की सीमाओं तक पहुँच रहे हैं? समालोचनात्मक मूल्यांकन कीजिये। (2015)**

